

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/80566/2018-19


दिनांक :- 20-3-2018

विज्ञापित

गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय शुरू करने एवं भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम की स्वीकृति हेतु इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2018-2019 हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प08 (5) शिक्षा-5/ऑन लाइन मान्यता 2018-19/2017 जयपुर दिनांक 18.03.2018 के क्रम में ऑन लाइन प्रस्ताव निम्नानुसार आमन्त्रित किये जाते हैं :-

क्रम सं०	विवरण	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर प्रस्तुत कर सूचना लॉक करना।	15 अप्रैल 2018
2	आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	20 अप्रैल 2018
3	विलम्ब शुल्क रूपये 5000/- सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर प्रस्तुत कर सूचना लॉक करना।	25 अप्रैल 2018
4	विलम्ब शुल्क 5000/- सहित आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	30 अप्रैल 2018
5	विलम्ब शुल्क रूपये 10,000/- सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर प्रस्तुत कर सूचना लॉक करना।	02 मई 2018
6	विलम्ब शुल्क 10,000/- सहित आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना	07 मई 2018

निर्धारित राशि के ड्राफ्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रस्तुत करने होंगे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय हेतु एवं भवन परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आवेदन शुल्क एवं संबंधित निर्देशों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट www.rajshiksha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।


(नयमल डिडेल)

आई.ए.एच.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

ई-मेल/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

कमांक प.9 (5) शिक्षा-5/ऑनलाईन मान्यता 2018-19/2017

जयपुर दिनांक 16.03.2018

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :- गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्राथमिक स्तर पर नवीन मान्यता एवं उप्रावि से मा.वि, मा.वि. से उमावि में कमौन्नत /मान्यता एवं उमावि में अतिरिक्त संकाय/विषय, भवन परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम प्रारम्भ करने के संबंध में ।


सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/60586/2018-19 दिनांक: 15.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्राथमिक स्तर पर नवीन मान्यता, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उप्रावि से मा.वि, मा.वि. से उमावि में कमौन्नत/मान्यता एवं उमावि में अतिरिक्त संकाय/विषय, प्रा.वि/उप्रावि./मा.वि./उमावि में माध्यम, भवन/वर्ग परिवर्तन इत्यादी प्रारम्भ करने के संबंध में सन्दर्भित पत्र के क्रम में आगामी सत्र 2018-19 के लिए समस्त प्रकार की मान्यताओं की प्रक्रिया हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑन लाईन किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं संबंधित प्रपत्र संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि इन सभी को संबंधित वेबसाईट पर अपलोड कर दैनिक समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति आवेदन की अंतिम तिथि इंगित करते हुए जारी कर मान्यता संबंधी कार्यवाही निर्धारित की गई अवधि में पूर्ण करावें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(उमाशंकर त्रिपाठी)

व.शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, राज्य शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. श्री विनोद जैन, प्रमुख एन.आई.सी.प्रणाली विश्लेषण, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. श्री सन्धेन्द्र सिंह पंचार, राज्य समन्वयक, प्राईवेट स्कूल पोर्टल, सेंट्रल सेल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली

व.शासन उप सचिव

गैर-सरकारी विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता दिये जाने संबंधी दिशा-निर्देश-2018-19

अध्याय-1 : परिचय

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 36 हजार से अधिक संस्थाएँ संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय-समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016-17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाइन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2018-19 में ऑनलाइन मान्यता हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए करणीय कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों में कोई विसंगति पायी जाए तो मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।

अध्याय-2 : आवेदन एवं पात्रता

1. आवेदन करना — राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय, व संकाय एवं वर्ग परिवर्तन इत्यादि) के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यह आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpssp.nic.in) पर करना होगा। मान्यता हेतु नवीनतम दिशा-निर्देश, आवेदन प्रारूप एवं टाइम फ्रेम पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।
2. नवीन मान्यता, क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यताओं हेतु पात्रता — कोई भी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1-5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1-8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय एवं संकाय इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-2 क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप)। इन समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :-
 - 2.1. आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी।
 - 2.2. शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगे।
 - 2.3. सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्केन करके अपलोड करना होगा।
 - 2.4. सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा।

- 2.5 **शुल्क :-** मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)) के पद नाम से बनेगा तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से बनेगा। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी आवेदन पत्र के साथ ही देना होगा तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. तथा फिक्सड डिपोजिट की गयी राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के बाद संस्था के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में ही देना होगा। इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आनेदनकर्ता को समय पर सूचित किया जाएगा। समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही मान्यता जारी की जायेगी।
- 2.6 **शपथ पत्र :-** सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बन्धित दी जा रही प्रमुख सूचनाओं को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।
- 2.7 **विद्यालयों को दी जाने वाली छूट :-** गैर-सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण एवं अन्य छूट दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/2010 पार्ट 03.07.2012, 20.07.2012, 14.08.2012, 06.05.2013, 31.05.2013 एवं आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा प्रदत्त छूट यथावत रहेगी।

3. आवेदन की प्रक्रिया -

- 3.1 **विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना -** सभी प्रकार की मान्यताओं हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वयं का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन गैर-सरकारी विद्यालयों के पास इस पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु पहले से ही पीएसपी कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध है, वे विद्यालय मान्यता हेतु भी उसी पासवर्ड से लॉगिन करें। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।
- 3.2 **विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि -** लॉगिन करने के बाद विद्यालय अपनी आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाएँ एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें।
- 3.3 **विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना -** मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-7)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही स्कैन कर के पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज PDF/JPG फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज 1MB से कम Size का होना आवश्यक है।
- 3.4 **आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना -** विभिन्न प्रकार की मान्यता के लिए शुल्क की राशि भी अलग-अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाएँ। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग-अलग बनेंगे।
- 3.5 **आवेदन की हार्ड कॉपी को सम्बन्धित कार्यालय में भेजना -** समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि के बाद ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 फोटो जो अपलोड किये गये हैं, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को समय पर प्रेषित करें।
- 3.6 **प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता क्रमोन्नति, नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम/परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित किए जाएंगे।**

3.7 जो विद्यालय पहले से ही माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त हैं वह विद्यालय किसी भी स्तर के नाम/स्थान/माध्यम/वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु अपने आवेदन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) को प्रेषित करेंगे।

अध्याय --3 आवेदन पत्रों की जाँच

4. आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त करना एवं ऑनलाइन जाँच करना –

- 4.1 संस्था द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन की पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त करते समय, पत्रावली में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किए गए दस्तावेजों का ठीक से मिलान कर लें।
- 4.2 आवेदन पत्रों की जाँच का कार्य ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। यह जाँच सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन तथा विद्यालय द्वारा कार्यालय में जमा करवायी गयी पत्रावली के माध्यम से की जाएगी।
- 4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा दी गयी मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का मिलान करना है। यह जाँच लें आवेदन शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है उतनी राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट दिया गया है तथा ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक सही है इसकी जाँच कर लें। एक से अधिक ड्राफ्ट होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में सभी ड्राफ्ट के विवरण की प्रविष्टि की गयी है।
- 4.4 विद्यालय टीएसपी अथवा नॉन टीएसपी एरिया में है इसकी भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।
- 4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की जाँच करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के समय संस्था द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान किया जाना है। ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों को खोलकर देख लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सही दस्तावेज ही अपलोड किये गये हैं तथा इसकी प्रति विद्यालय की पत्रावली में उपलब्ध है।
- 4.6 मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ड्राफ्ट सम्बन्धी अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने "सही नहीं पाया गया" विकल्प का चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने सम्बन्धी क्षेत्र अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय को पोर्टल पर, एसएमएस द्वारा एवं ई-मेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भी ऐसे विद्यालयों को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाना है।
- 4.7 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद आगामी 5 कार्य दिवसों में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन का प्रिंटआउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके।
- 4.8 आक्षेप पूर्ति के लिए दिए गए ड्राफ्ट अथवा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद की तिथियों के भी स्वीकार किए जाएंगे। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मान कर निरस्त कर दिया जाएगा तथा इसकी सूचना संस्था को पोर्टल पर दे दी जाएगी।
- 4.9 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रविष्टियां सही पायी जाती हैं उन विद्यालयों के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जाँच की जा सकेगी।
- 4.10 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाए जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर, एसएमएस द्वारा एवं ई-मेल के माध्यम से दे दी जाएगी लेकिन विद्यालय को सभी आक्षेपों की पूर्ति निरीक्षण के समय तक करनी अनिवार्य होगी। संलग्नकों के सम्बन्ध में जो भी कमी पायी गयी है उसका विवरण निरीक्षण के प्रपत्र में भी दिया जाएगा।

अध्याय :- 4 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन:-

- 5.1 संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन एक दल द्वारा किया जाएगा जिसका गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा।
- 5.2 विद्यालयों के निरीक्षण के लिए दल गठन का कार्य उसी स्थिति में प्रारम्भ हो सकेगा जब उस जिले में मान्यता हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में निरीक्षणकर्ताओं के नामों का चयन कर लिया गया है।
- 5.3 निरीक्षणकर्ताओं के नामों का चयन जिला शिक्षा अधिकारियों के लॉगिन से शाला दर्शन एवं शाला दर्पण में उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा।
- 5.4 प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं अतः प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार राजपत्रित अधिकारियों का चयन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के लॉगिन से शालादर्पण के माध्यम से किया जाएगा इसके लिए जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपनी आवश्यकता का पत्र जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी को दे दें।
- 5.5 कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचनाओं के ऑनलाइन मिलान के समय मान्यता आवेदन शुल्क एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों के विवरण के सही पाए जाने तथा संलग्न किए गए दस्तावेजों के मिलान सम्बन्धी कार्य के पूर्ण होने पर इन विद्यालयों के लिए निरीक्षण हेतु दलों का गठन स्वतः ही हो जाएगा। निरीक्षण दल के सदस्यों को इसकी सूचना एसएमएस द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भी इनको सूचित किया जाएगा।
- 5.6 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल दो सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।
- 5.7 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल तीन सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उ.मा.वि./अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/समकक्ष अधिकारी को लगाया जाएगा तथा दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मा.वि./समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा सम्बन्धी कार्मिक/मंत्रालयिक कर्मचारी लगाया जाएगा।
- 5.8 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर-सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।

6. विद्यालय का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन -

- 6.1 सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। निरीक्षण हेतु 7 दिवस/सत्यापन की अंतिम तिथि की सीमा ग्रीष्मवकाश के बाद विद्यालय खुलने से प्रारम्भ होगी। सत्यापन के बाद अगले कार्य दिवस को सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि तक निरीक्षण प्रपत्र जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 6.2 निरीक्षण दलों को सामान्यतः बदला नहीं जायेगा। केवल निरीक्षण दल के सदस्यों की मृत्यु, स्थानान्तरण, पदोन्नति पर अन्यत्र कार्यग्रहण अथवा गंभीर बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में ही निरीक्षण दल बदला जा सकेगा। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय को दी जाएगी तथा निदेशालय द्वारा तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में नए निरीक्षण दल का गठन ऑनलाइन तरीके से करना होगा।
- 6.3 निरीक्षणकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालय में जमा करानी होगी।
- 6.4 विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन करना है। सत्यापन दल को सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिशंषा करनी होगी।
- 6.5 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सत्यापन रिपोर्ट में दल द्वारा दिए गए अभिमत/सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी।
- 6.6 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित/दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अध्याय – 5 मान्यता अनुमोदन

7. मान्यता का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना :-

- 7.1 सत्यापन के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारी ठीक से अध्ययन कर लें। प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर तथ्यों के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रविष्टि कर दें तथा अपना अभिमत भी दर्ज कर दें।
- 7.2 मान्यता के जो आवेदन पत्र अनुमोदन हेतु निदेशालय भिजवाए जाने हैं उन विद्यालयों की सूचना ऑनलाइन दर्ज कर दें तथा पत्रावलियों को तत्काल निदेशालय प्रेषित कर दें।
- 7.3 निदेशालय द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त पत्रावलियों की सूचना ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा जिन पत्रावलियों पर अनुमोदन दिया जाएगा उनकी सूचना भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
- 7.4 मान्यता के जिन प्रकरणों में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है वह प्रकरण निदेशालय द्वारा अपना अभिमत दर्ज कर ऑनलाइन तरीके से राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे।
- 7.5 राज्य सरकार के स्तर पर शिक्षा गुप-5 विभाग द्वारा निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार मान्यता हेतु ऑनलाइन अनुमोदन दिया जाएगा तथा प्रकरण को पुनः निदेशालय को भिजवा दिया जाएगा।
- 7.6 यदि किसी विद्यालय के मान्यता आवेदन में एक से अधिक मान्यता विकल्पों का चयन किया गया है तो राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त शेष विकल्पों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा।

अध्याय – 6 मान्यता प्रमाण-पत्र/निरस्त प्रमाण पत्र जारी करना

8. विद्यालयों को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करना –

- 8.1 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिए जाने हेतु स्पष्ट अभिषंशा की है तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिए जाने की अभिषंशा की गयी है तथा जिनकी मान्यता हेतु निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन होना आवश्यक नहीं है वह विद्यालय मान्यता दिए जाने हेतु पात्र होंगे।
 - 8.2 ऐसे पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट मान्यता अनुमोदन के 7 दिवस से पूर्व अथवा मान्यता दिए जाने की अंतिम तिथि जो भी पहले है तक जमा कराने हेतु सम्बन्धित संस्था को पत्र भेजा जाएगा।
 - 8.3 निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक यह दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाएंगे।
 - 8.4 उपरोक्त दस्तावेजों के विवरण की ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद इन विद्यालयों को मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।
 - 8.5 जिन विद्यालयों की मान्यता के लिए निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है उन विद्यालयों को मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ की जाएगी जो उपरोक्तानुसार ही रहेगी।
 - 8.6 समस्त विद्यालयों की मान्यताएँ निर्धारित तिथि तक तथा यथा संभव एक साथ जारी की जाएंगी। निर्धारित तिथि तक मान्यता का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना – जिन विद्यालयों के आवेदन को निरीक्षण के दौरान अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अथवा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने योग्य नहीं पाया जाता है उनकी सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाए तथा इस सूचना का पत्र ऑनलाइन प्रिंट कर आवेदनकर्ता सोसाइटी को भी प्रेषित किया जाएगा।

10. मान्यता हेतु टाइम फ्रेम –

क्र. सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	सम्बन्धित कार्यालय
1	मान्यता हेतु विज्ञप्ति प्रसारित करना।	20 मार्च 2018 तक	निदेशालय प्रा.शि. एवं मा.शि., राजस्थान, बीकानेर/राज्य सरकार
2	ऑनलाइन आवेदन कर सूचना लॉक करना।	15 अप्रैल 2018 तक	सम्बन्धित संस्था
3	आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सम्बन्धित कार्यालय में देना।	20 अप्रैल 2018 तक	सम्बन्धित संस्था
4	विलम्ब शुल्क (रूपये 5000 एवं 10000 सहित माध्यमिक शिक्षा हेतु एवं रूपये 1000 एवं 1500 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हेतु) सहित आवेदन करना।	25 अप्रैल 2018 / 02 मई 2018 तक	सम्बन्धित संस्था
5	विलम्ब शुल्क सहित भरे गये आवेदन की हार्ड कॉपी सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवाना।	30 अप्रैल 2018 / 07 मई 2018 तक	सम्बन्धित संस्था
6	आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जाँच, सत्यापन दलों का गठन एवं संस्थाओं का भौतिक सत्यापन।	12 मई 2018 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
7	मान्यताओं का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना।	27 मई 2018 तक	जि.शि.अ. माध्य. शिक्षा कार्यालय एवं निदेशालय मा.शि., राजस्थान, बीकानेर/ स्कूल शिक्षा ग्रुप-5 विभाग
8	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डी.डी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना।	10 जून 2018 तक	सम्बन्धित संस्था एवं सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय।
9	मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	15 जून 2018 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
10	मान्यता के लिए अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना।	20 जून 2018 तक	सम्बन्धित जि.शि.अ. कार्यालय
11	पुनः निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर परिवेदना प्रस्तुत करना।	मान्यता निरस्ति आदेश जारी होने के 10 दिवस में	सम्बन्धित संस्था एवं स्कूल शिक्षा ग्रुप-5 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना।	पुनः निरीक्षण की अनुमति के 15 दिवस में	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

उपरोक्त टाइमफ्रेम का पालन विद्यालयों एवं कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। विद्यालयों द्वारा टाइमफ्रेम का पालन नहीं करने की स्थिति में वे मान्यता हेतु अपात्र हो जाएंगे तथा कार्यालय स्तर पर टाइमफ्रेम का पालन नहीं करने वाले सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

गैर-सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,.....(जिले का नाम)

विषय:-शैक्षिक सत्र 2018-19 से.....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि(सोसाइटी का पूरा नाम)
एक विद्यालय.....(विद्यालय का पूरा नाम)
.....(विद्यालय का पूरा पता)
में संचालित करती है/करना चाहती है।

सोसाइटी इस विद्यालय की(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/
नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क.....(राशि रूपये में) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्यादिनांक
.../.../.....एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2018-19 से.....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) की मान्यता देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक:.../.../.....
संलग्न:उपरोक्तानुसार

सोसाइटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसाइटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसाइटी की मोहर

आवेदन का प्रकार

1.	मान्यता का प्रकार(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर / नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर)
2.	मान्यता का माध्यम(हिन्दी / अंग्रेजी)
3.	क्या विद्यालय मान्यता के वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ 7 एवं 8 संचालित करना चाहता है।(हाँ / नहीं)
4.		

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण –

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	सोसाइटी की नवीनतम कार्यकारणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
4	विद्यालय नवीन मान्यता / क्रमोन्नति / नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम इत्यादि के सम्बन्ध में कार्यकारणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
5	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
6	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो किरायेनामे की सत्यापित प्रति
7	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1) शिक्षा-5 / भूमि रूपान्तरण / 2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट यथावत)
8	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
9	विद्यालय भवन व खेल मैदान के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
10	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
11	मान्यता शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट

आवेदन पत्र क्रमांक – विद्यालय का नाम –परिशिष्ट –1

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण –

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
4	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।

गैर-सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु विस्तृत आवेदन पत्र

1. विद्यालय विवरण						
1.1 आवेदन दिनांक/...../.....						
1.2 आवेदन का प्रकार		<input type="radio"/> 1 to 5		<input type="radio"/> 1 to 8		
1.3 क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ कक्षा-7 एवं 8 भी संचालित करना चाहता है					<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
1.4 जिला				1.5 ब्लॉक		
1.6 ग्राम पंचायत/यु. एल. बी.				1.7 ग्राम/वार्ड		
1.8 विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)						
1.9 विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)						
1.10 विद्यालय का स्थान (पूरा पता)						
1.11 ग्राम /शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है				1.12 नजदीकी पुलिस थाने का नाम		
1.13 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड				1.14 विद्यालय का फोन नम्बर		
1.15 विद्यालय का ई-मेल				1.16 विद्यालय की वेबसाइट		
1.17 मान्यता हेतु विद्यालय का प्रकार		<input type="radio"/> Girls	<input type="radio"/> Co-Edu	1.18 मान्यता हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम		
				<input type="radio"/> Hindi	<input type="radio"/> English	
1.19 संस्था प्रधान का नाम				1.20 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर		
1.21 क्या विद्यालय मूक बधिर/दृष्टिहीन श्रेणी का है?		<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	1.22 क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है?		
				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	
2. सोसाइटी की सामान्य जानकारी						
2.1 संचालन कर्ता सोसायटी का नाम						
2.2 सोसायटी पंजीयन संख्या				2.3 पंजीयन वर्ष एवं दिनांक		
2.4 सोसायटी का पूरा पता						
2.5 सोसायटी का दूरभाष						
2.6 अध्यक्ष का नाम				2.7 अध्यक्ष का मोबाइल नम्बर		
2.8 सचिव का नाम				2.9 सचिव मोबाइल नम्बर		
2.10 क्या सोसायटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलना सम्मिलित है					<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
2.11 क्या शाषी परिषद की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है					<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
3. शुल्क का विवरण						
3.1 मान्यता शुल्क की राशि		डीडी नम्बर/दिनांक		बैंक/ब्रांच		
3.2 बालिका फाउण्डेशन की राशि		डीडी नम्बर/दिनांक		बैंक/ब्रांच		
3.3 सावधि जमा (एफडी) की राशि		एफडी नम्बर/दिनांक		बैंक/ब्रांच		
4. विद्यालय भवन से सम्बन्धित जानकारी						
4.1 विद्यालय भवन की स्थिति		<input type="radio"/> स्वयं सोसायटी का <input type="radio"/> किराये पर		4.2 क्या विद्यालय भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।		
				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	
4.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (in Sq. Mt)				4.4 विद्यालय में निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in Sq. Mt)		
4.5 विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार		<input type="radio"/> कृषि	<input type="radio"/> आवासीय	4.6 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति		
		<input type="radio"/> वाणिज्यिक	<input type="radio"/> संस्थानिक	<input type="radio"/> स्वयं सोसायटी का <input type="radio"/> किराये पर		

				○ सार्वजनिक पार्क	
4.7 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है?	○हाँ	○नहीं	4.8 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है	○हाँ	○नहीं
4.9 भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○हाँ	○नहीं	4.9.1 अभियंता का नाम		
4.9.2 अभियंता का पद			4.9.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान		
4.9.4 अभियंता का मोबाइल नम्बर					
4.10 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○हाँ	○नहीं	4.10.1 अभियंता का नाम		
4.10.2 अभियंता का पद			4.10.3 अभियंता का पदस्थान स्थान		
4.10.4 अभियंता का मोबाइल नम्बर			4.11 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालत उपलब्ध में है।	○हाँ	○नहीं
4.12 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है	○हाँ	○नहीं	4.13 क्या विद्यालय भवन परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही हैं?	○हाँ	○नहीं
5. पेयजल/सैनिटरी सुविधा का विवरण					
5.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है?	○हाँ	○नहीं	5.2 यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है	○ नल का कनेक्शन ○ हैंडपंप/ट्यूबेल ○ टांका ○ टैंकर द्वारा	
5.3 बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या			5.4 बालकों के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या		
6. अन्य विवरण					
6.1 कक्षा कक्षा की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं			6.2 कक्षाओं की संख्या जो गैर-शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		
6.3 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या			6.4 पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या		
6.5 छात्रों के बैठने हेतु स्टूल/टेबल सेट की संख्या					
6.6 क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं?				○हाँ	○नहीं
6.7 विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है?				○हाँ	○नहीं
6.8 विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है?				○हाँ	○नहीं
6.9 क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है?				○हाँ	○नहीं

आवेदन पत्र क्रमांक - विद्यालय का नाम - परिशिष्ट -1

6.10 क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है?										0 हाँ		0 नहीं	
7. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण													
कक्ष का विवरण				कक्षों की संख्या				औसत साइज(In Sq. mt.)					
7.1 कक्षा कक्ष													
7.2 प्रधानाध्यापक कक्ष													
7.3 कार्यालय कक्ष													
7.4 अध्यापक कक्ष													
7.5 खेलकूद कक्ष													
7.6 भण्डार गृह													
7.7 सभा भवन													
7.8 पुस्तकालय/वाचनालय													
8. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण													
क्र. सं.	कर्मचारी का वर्तमान पदनाम	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	क्या शिक्षक RTET/REET/CTET योग्यता प्राप्त है	नियुक्ति की तिथि	सैकण्डरी परीक्षा का रोल नम्बर	सैकण्डरी उत्तीर्ण का वर्ष	कर्मचारी का मोबाइल नम्बर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1													
2													

आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

गैर-सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति व अन्य मान्यता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय) (जिले का नाम)

विषय:—शैक्षिक सत्र 2018-19 से (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / नाम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय / माध्यम परिवर्तन / नाम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि (सोसाइटी का पूरा नाम)
एक विद्यालय (विद्यालय का पूरा नाम)
..... (विद्यालय का पूरा पता)
में संचालित करती है।

सोसाइटी इस विद्यालय की (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / नाम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय / माध्यम परिवर्तन / नाम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क (राशि रुपये में) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक / / एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2018-19 से (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति / माध्यम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / नाम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय / माध्यम परिवर्तन / नाम परिवर्तन / स्थान परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम / अतिरिक्त विषय) की मान्यता देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक: ... / /

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सोसाइटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसाइटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसाइटी की मोहर

आवेदन का प्रकार

1. क्रमोन्नति

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा वांछित क्रमोन्नति का स्तर (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक)

2. माध्यम परिवर्तन

विद्यालय का वर्तमान माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)	विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा वांछित माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)

3. स्थान परिवर्तन

विवरण	विद्यालय के वर्तमान स्थान का विवरण	विद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु वांछित स्थान का विवरण
जिला		
ब्लॉक		
ग्राम पंचायत/यू एल बी		
ग्राम /वार्ड		
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)		
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का/किराए पर)		
वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी (कि.मी. में)		

4. नाम परिवर्तन

वर्तमान में विद्यालय का नाम	विद्यालय द्वारा वांछित नाम

5 अतिरिक्त माध्यम

विद्यालय का वर्तमान माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)	विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)

6. अतिरिक्त विषय

पूर्व मान्यता अनुसार विद्यालय में संकाय	पूर्व मान्यता अनुसार संकाय में स्वीकृत विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त विषय

7. अतिरिक्त संकाय

पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में संकाय	पूर्व मान्यता अनुसार संकाय के विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त संकाय	वांछित अतिरिक्त संकाय के विषय

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण -

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	सोसाइटी की नवीनतम कार्यकारणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
4	विद्यालय नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादी के सम्बन्ध में कार्यकारणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
5	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
6	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
7	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो किरायेनामे की सत्यापित प्रति
8	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1) शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट यथावत)
9	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
10	विद्यालय भवन व खेल मैदान के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11	विद्यालय के आय-व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
12	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
13	मान्यता शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट

आवेदन पत्र क्रमांक – विद्यालय का नाम –.....परिशिष्ट -2

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण –

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
4	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण-पत्र
5	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।

गैर-सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति व अन्य मान्यता हेतु आवेदन पत्र

1. विद्यालय विवरण					
1.1 आवेदन दिनांक / /					
1.2 आवेदन का प्रकार		<input type="radio"/> क्रमोन्नति (6 से 8) (9 से 10) (11 से 12) <input type="radio"/> स्थान परिवर्तन/अतिरिक्त विषय/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त माध्यम/वर्ग परिवर्तन/नाम परिवर्तन			
1.3 क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ कक्षा-7 एवं 8/कक्षा-9 के साथ कक्षा-10/कक्षा-11 के साथ कक्षा-12 भी संचालित करना चाहता है					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
1.4 जिला		1.5 ब्लॉक			
1.6 ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.		1.7 ग्राम/वार्ड			
1.8 विद्यालय का पूरा नाम(अंग्रेजी में)					
1.9 विद्यालय का पूरा नाम(हिन्दी में)					
1.10 क्या विद्यालय मूक बधिर/दृष्टिहीन विद्यालय श्रेणी का है?					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
1.11 क्या विद्यालय जनजाति क्षेत्र में संचालित है?					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
1.12 विद्यालय का स्थान(पूरा पता)					
1.13 ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		1.14 नजदीकी पुलिस थाने का नाम			
1.15 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		1.16 विद्यालय का फोन नम्बर			
1.17 यूडाइस (UDISE) कोड यदि है तो		1.18 विद्यालय का स्थापना वर्ष			
1.19 विद्यालय का ई-मेल		1.20 विद्यालय की वेबसाइट			
1.21 संस्था प्रधान का नाम		1.22 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर			
2. सोसाइटी की सामान्य जानकारी					
2.1 संचालनकर्ता सोसायटी का नाम					
2.2 सोसायटी पंजीयन संख्या		2.3 पंजीयन वर्ष एवं दिनांक			
2.4 सोसायटी का पूरा पता					
2.5 सोसायटी का दूरभाष					
2.6 अध्यक्ष का नाम		2.7 अध्यक्ष का मोबाइल नम्बर			
2.8 सचिव का नाम		2.9 सचिव का मोबाइल नम्बर			
2.10 क्या क्रमोन्नति/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन अतिरिक्त माध्यम/वर्ग परिवर्तन/नाम परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन हेतु विद्यालय की प्रबंध समिति ने अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया है।					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
3. गत तीन वित्तीय वर्षों का आय/व्यय का विवरण					
क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	सरप्लस/डेफिसिट	
1					
2					
3					
4. पूर्व संचालित मान्यता से सम्बन्धित जानकारी					
4.1 अंतिम विभागीय मान्यता आदेश संख्या		अंतिम विभागीय मान्यता आदेश दिनांक			
4.2 पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी		<input type="radio"/> Primatry (1-5) <input type="radio"/> Pr.Up Pr. And Secondary Only (1-10)		<input type="radio"/> Primary with Upper Primary (1-8) <input type="radio"/> Pr.with Up. Pr.sec. and Sen.Sec.(1-12)	
4.3 पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का प्रकार		<input type="radio"/> Girls <input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> Co-Edu <input type="radio"/> नहीं	पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम <input type="radio"/> Hindi <input type="radio"/> English	
4.4 विद्यालय राजस्थान बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हैं		यदि है तो, बोर्ड से प्राप्त संबद्धता का विद्यालय कोड			
4.5 नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश संख्या		नवीनतम आरटीई			

		मान्यता आदेश दिनांक	
4.6 पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय	○ विज्ञान	अध्यापन विषय : 1.....2.....3..... 4.....5.....6.....	
	○ वाणिज्य	अध्यापन विषय : 1.....2.....3..... 4.....5.....6.....	
	○ कला	अध्यापन विषय : 1.....2.....3..... 4.....5.....6..... 7.....8.....9.....	

5. शुल्क का विवरण

5.1 मान्यता शुल्क		डी.डी.नं/ दिनांक		बैंक / ब्रांच	
5.2 बालिका फाउंडेशन		डी.डी.नं/ दिनांक		बैंक / ब्रांच	
5.3 सावधि जमा(FD)		डी.डी.नं/ दिनांक		बैंक / ब्रांच	

6. विद्यालय भवन से सम्बन्धित जानकारियाँ

6.1 विद्यालय भवन की स्थिति	○ स्वयं सोसायटी का ○ किराये पर		6.2 क्या विद्यालय भवन/अन्य निर्माण/ खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	○हाँ	○ नहीं
6.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल(In Sq. Mt.)			6.4 विद्यालय में निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (In Sq. Mt.)	○हाँ	○ नहीं
6.5 विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	○ कृषि ○ वाणिज्यिक	○ आवासीय ○ संस्थानिक	6.6 क्या विद्यालय में छात्रावास संचालित है?	○हाँ	○ नहीं
6.7 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	○ स्वयं सोसायटी का ○ किराये पर ○ सार्वजनिक पार्क		6.8 खेल मैदान का कुल क्षेत्रफल (In Sq. Mt.)		
6.9 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है?	○हाँ	○ नहीं	6.10 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है?	○हाँ	○ नहीं
6.11 भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○हाँ	○ नहीं	6.11.1 अभियंता का नाम		
6.11.2 अभियन्ता का पद			6.11.3 अभियन्ता का पदस्थापन		
6.11.4 अभियन्ता का मोबाइल नम्बर					
6.12 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राजकीय उपक्रम/ हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है.	○हाँ	○ नहीं	6.12.1 अभियंता का नाम		
6.12.2 अभियन्ता का पद			6.12.3 अभियन्ता का पदस्थापन		
6.12.4 अभियन्ता का मोबाइल नम्बर			6.13 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली	○हाँ	○ नहीं

		उपलब्ध है?			
6.14 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है?	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	6.15 क्या विद्यालय भवन परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही हैं?	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
7. पेयजल/सैनिटरी सुविधा का विवरण					
7.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु उचित व्यवस्था है?	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	7.2 यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है	<input type="radio"/> नल का कनेक्शन <input type="radio"/> हैंडपंप/ट्यूबेल <input type="radio"/> टांका <input type="radio"/> टैंकर द्वारा	
7.3 बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या			7.4 बालकों के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या		
8.अन्य विवरण					
8.1 कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	पूर्ण निर्मित	अर्ध निर्मित	8.2 कक्षों की संख्या जो गैर-शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	पूर्ण निर्मित	अर्ध निर्मित
8.3 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या			8.4 पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या		
8.5 क्या विद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.6 क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.7 क्या विद्यालय में पीटीआई नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.8 क्या विद्यालय में लैब असिस्टेंट नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.9 क्या विद्यालय में लैब बॉय नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं			
8.10 विद्यालय में सह-शैक्षणिक गतिविधि					
8.10.1 एनसीसी	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.10.2 स्काउट	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.10.3 एनएसएस	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.10.4 ईको क्लब	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.11 क्या विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.12 विद्यार्थियों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर की संख्या	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.13 क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.14 विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.15 विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.16 क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.17 क्या विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
9. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण					
कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	औसत साइज			
		लम्बाई (in. Sq. Mt)	चौड़ाई (in. Sq. Mt)		
9.1 कक्षा कक्ष					
9.2 प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य कक्ष					
9.3 कार्यालय कक्ष					
9.4 अध्यापक कक्ष					
9.5 खेलकूद कक्ष					
9.6 भण्डार गृह					
9.7 सभा भवन					
9.8 पुस्तकालय/वाचनालय					
9.9 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
9.10 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					

आवेदन पत्र क्रमांक - विद्यालय का नाम - परिशिष्ट -2

9.11	जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष												
9.12	कृषि विषय के लिए अतिरिक्त प्रयोगशाला : कृषि भूमि सुविधा सिंचाई सुविधायुक्त, औजार एवं बीज भण्डार।												
10. विद्यार्थी का नामांकन विवरण													
क्र.	कक्षा	कुल नामांकन	आरटीई में नामांकन	वार्षिक शुल्क									
1	PP3+/LKG/Nur												
2	PP4+/UKG/KG												
3	PP5+/PREP/HKG												
4	I												
5	II												
6	III												
7	IV												
8	V												
9	VI												
10	VII												
11	VIII												
12	IX												
13	X												
14	XI Science												
15	XII Science												
16	XI Comm.												
17	XII Comm.												
18	XI Arts												
19	XII Arts												
11. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण													
क्र सं.	कर्मचारी का वर्तमान पदनाम	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षण क योग्यता	क्या शिक्षक RTET/REET/CTET योग्यता प्राप्त है	नियुक्ति की तिथि	सैकण्डरी परीक्षा का रोल नम्बर	सैकण्डरी उत्तीर्ण का वर्ष	कर्मचारी का मोबाइल नम्बर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1													
2													
3													
4													
5													

आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/वर्ग/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ

क्र. सं.	विवरण	मान्यता का प्रकार									वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन	
		नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम मा./उ. मा.	अतिरिक्त संकाय उ. मा.	अतिरिक्त विषय उ. मा. वि	स्थान परिवर्तन		
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर				उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक/उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	कक्षा कक्ष	2	5	5	14 कक्ष (6X8) वर्ग मी० प्रत्येक कक्ष	16 कक्ष (6X8) वर्ग मी० प्रत्येक कक्ष	अतिरिक्त कक्ष होने पर	छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य	छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य		छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य	-
2	कार्यालय सह भंडार कक्ष	1	1	1	64 वर्ग मीटर	64 वर्ग मीटर	-	-	-			-
3	शौचालय/मूत्रालय (बालकों के लिए)	1	1	1	80 पर एक शौचालय/20 पर एक मूत्रालय	80 पर एक शौचालय/20 पर एक मूत्रालय	-	-	-			-
4	शौचालय/मूत्रालय (बालिकाओं के लिए)	1	1	1	40 पर एक शौचालय/20 पर एक मूत्रालय	40 पर एक शौचालय/20 पर एक मूत्रालय	-	-	-			-
5	सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी की सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-
6	खेल का मैदान एवं खेल का सामान	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-
7	चारदीवारी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-
8	पुस्तकालय सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-
9	शिक्षण अधिगम सामग्री	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-
10	अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	-	-	-			-
11	संस्था के परिसर से विद्युत की हाईटेशन लाइन नहीं गुजर रही हो। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-
12	संस्था के परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-			-

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/वर्ग/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) हेतु आवश्यक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द

विवरण	मान्यता का प्रकार								
	नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय	वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-1)/व्याख्याता	-	-	-	-	एक संकाय में 3 एवं विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	-
शिक्षक (Grade-2)/वरिष्ठ अध्यापक	-	-	-	वरि. अध्यापक - 3 विषयानुसार	वरि. अध्यापक -3 विषयानुसार	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-3. RTET/REET level-2) सैकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढ़ायेगा।	-	3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-3. RTET/REET level-1)	2	2	-	छात्र अनुपात अनुसार	छात्र अनुपात अनुसार	-	-	-	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	-	-	-	1	1 वरि. पुअ.	-	-	-	-
लिपिक ग्रेड-1	-	-	-	500 छात्र संख्या तक एक लिपिक ग्रेड-1 और अधिक पर दो लिपिक ग्रेड-2	900 तक एक वलि तथा तीन कलि	-	-	-	-
लिपिक ग्रेड-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रयोगशाला सहायक	-	-	-	-	3	-	-	-	-
प्रयोगशाला सेवक	-	-	-	-	3	-	-	-	-
गृह विज्ञान हेतु पृथक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	-	-	-	1	-	-	-	-
सहायक कर्मचारी	-	-	-	1	1	-	-	-	-

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि)

हेतु शुल्क की राशि का विवरण(रूपरे में)

फीस का विवरण	मान्यता का प्रकार										
	नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय	स्थान परिवर्तन		वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर				उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक	उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मान्यता आवेदन शुल्क (डी.डी. जिला अधिकारी प्रा.शि./मा.शि. द्वितीय) के नाम) संबंधित शिक्षा (प्रथम/	2,000	2,000	2,000	15,000	20,000	प्राथमिक(1-5) -5,000 उच्च प्राथमिक (1-8) - 7,000 माध्यमिक(1-10) -13,000 माध्यमिक(6-10) -8,000 उच्च माध्यमिक (1-12)- 17,000 उच्च माध्यमिक (6-12)- 12,000	20,000 प्रति संकाय	6,000 प्रति विषय	प्राथमिक -5,000 उच्च प्राथमिक -7,000 माध्यमिक -9,000 उच्च माध्यमिक -15,000	प्राथमिक -5,000 उच्च प्राथमिक -7,000 माध्यमिक -9,000 उच्च माध्यमिक -15,000	प्राथमिक -5,000 उच्च प्राथमिक -7,000 माध्यमिक -9,000 उच्च माध्यमिक -15,000
मान्यता आवेदन शुल्क अतिरिक्त माध्यम	5,000	-	7,000	8,000	15,000	-	-	-	-	-	-
मान्यता अतिरिक्त संचालन शुल्क कक्षा	-	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8/10/12 के संचालन हेतु 30,000/-अतिरिक्त मान्यता शुल्क				-	-	-	-	-	-
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. बालिका फाउण्डेशन, के नाम) सचिव शिक्षा जयपुर	10,000	10,000	10,000	50,000	70,000	-	50,000 प्रति संकाय	-	-	प्राथमिक-4,000 उच्च प्राथमिक-6,000 माध्यमिक-7,000 उच्च माध्यमिक-10,000	-
फिक्सड डिपोजिट	50,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000	3,00,000	-	-	-	-	-	-

शपथ पत्र का प्रारूप

(यह शपथ पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं.....पिता/पति..... सोसाइटी का व पता..... के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि -

(नोट:- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

- 1.संस्था भवन में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालय व भूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
- 2.संस्था के प्रबन्ध मण्डल/सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
3. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है।
4. संस्था भवन में एवं परिसर के आस-पास में किसी प्रकार का मोबाइल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
- 5.संस्था भवन में एवं परिसर के आस-पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
- 6.संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
- 7.संस्था राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तों की पालना की जायेगी।
8. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
9. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
- 10.संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
- 11.संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलैण्डर का पालन किया जायेगा।
- 12.संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा बालक-बालिकाओं से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
- 13.संस्था के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जाँच लम्बित नहीं है।
- 14.संस्था के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
- 14.संस्था में सभी शिक्षक पूर्णरूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त हैं।
- 15.संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
- 16.विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक बालक-बालिका का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
- 17.विद्यालय संचालन समिति द्वारा बालक-बालिकाओं के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल-वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा बालकों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
- 18.विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2016 एवं नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है/नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।

(नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

19. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
20. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायको की नियमानुसार नियुक्ति कर दी है।
21. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्राडबैंड) की व्यवस्था कर दी गयी है।
22. संस्था द्वारा विना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षाएँ संचालित नहीं की जायेगी।
23. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी।

यह है कि शपथ पत्र के बिन्दू संख्याव.....में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सचिव

समिति का नाम.....
समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर व वर्ष

संलग्नक -7
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण -

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	सोसाइटी की नवीनतम कार्यकारणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
4	विद्यालय नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादी के सम्बन्ध में कार्यकारणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
5	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
6	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
7	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो किरायेनामे की सत्यापित प्रति
8	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1) शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट यथावत)
9	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
10	विद्यालय भवन व खेल मैदान के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11	विद्यालय के आय-व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
12	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
13	मान्यता शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट

संलग्नक -8

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण -

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
4	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण-पत्र (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
5	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
6.	शपथ पत्र